महत्वपूर्ण / समयबद्ध

पत्र संख्या-एस0एस0-शासन-राजस्व संग्रह-कार्यवाही -2014-15/ 839 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ : दिनॉक: 15-01-2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की मासिक समीक्षा बैठक में वाणिज्य कर विभाग के अद्यतन् राजस्व संग्रह पर असन्तोष व्यक्त करते हुए उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-114 / 11-3-15 दि0 26-12-2014 एवं समसंलग्नक कर निबन्धन विभाग का पत्र संख्या-114 /11-3-15-83/11 टी0सी0, दि0 15-01-2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में तीन माह से कम समय अवशेष है । इस अवशेष अवधि में पूर्व माहों की कमी को पूरा करते हुए लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जायें । निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं होगी ।

उक्त सन्दर्भ में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि मान0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । जोन स्तर पर तैयार की गई कार्ययोजना के प्रत्येक बिन्दु पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए, सम्भावित करापवंचन की रोकथाम हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्य कराकर एवं कर निर्धारण कार्य, बकाया वसूली, कार्यदायी संस्थाओं से टी0डी0एस0 जमा कराने की कार्यवाही, समाधान योजनाओं की देय एवं अवशेष समाधान राशि को जमा कराने की कार्यवाही आदि मदों में राजस्व संग्रह के हर सम्भव प्रयास करते हुए नियत मासिक व प्रगामी लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये ।

यह भी अपेक्षा की गई है कि दि0 27-01-2015 की वीडियों कान्फ्रेसिंग में प्रयासों व परिणामों से अवगत कराया जाये तथा प्रत्येक माह मुख्यालय को प्रेषित किये जाने वाले अर्द्धशासकीय पत्र में उल्लिखित किया जाये । जोनल स्तर से अधीनस्थ सम्भागीय व वाणिज्य कर खण्ड स्तर के सभी अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित कर दिया जाये कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व संग्रह की पूर्ति ही विभागीय अधिकारियों के वार्षिक प्रविष्टि के आधार होंगे । राजस्व संग्रह में शिथिल अधिकारियों को जोनल / सम्भागीय स्तर से कार्यवाही करते हुए यथावश्यक होने पर शासन / मुख्यालय से कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायें ।

15/01/15
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनॉक : तदैव ।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0)/(कारपो0सर्किल) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त खण्डाधिकारी / डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सम्भागीय ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

E:\2014-2015\GOVT. INFORMATION -2014\GOVT. SHASAN LETTER-14.doc